न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 68/2025 G.C.M.S. No. 2025/292 दर्ज दिनांक : 03.06.2025

अपीलार्थिगण:

1. चंपालाल पुत्र गणेश
2. ढगलाराम पुत्र गणेश
3. तिजाई पत्नि गणेश
4. धर्मीचंद पुत्र गणेश
5. नेनाराम पुत्र मुलाराम, तमाम जातिगण माली, निवासीगण रायपुर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मीठुडी देवी पत्नि कालूराम
2. गौतमचंद्र पुत्र कालूराम
3. किशन पुत्र कालूराम
4. बद्रीलाल पुत्र कालूराम
5. रमेश पुत्र कालूराम
6. सुगनचंद्र पुत्र कालूराम
7. दुर्गादेवी पुत्री कालूराम
8. बाबूलाल पुत्र गणेश, उम्र वयस्क, जातिगण माली, निवासीगण रायपुर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रायपुर, जिला ब्यावर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2025 बअनवान मीठुडीदेवी वगैरह बनाम चंपालाल वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.04.2025

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र दवे, श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

एवं

राजस्व अपील संख्या : 65/2025 G.C.M.S. No. 2025/299 दर्ज दिनांक : 04.06.2025

अपीलार्थी:

1. दुर्गादेवी पत्नि संपतलाल पुत्री कालूराम उम्र वयस्क, जाति माली, निवासी बेरा थड़ावाला कपूड़ी रोड़ रायपुर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मीठुडी देवी पत्नि कालूराम, उम्र वयस्क
2. गौतमचंद पुत्र कालूराम, उम्र वयस्क

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. किशन पुत्र कालूराम, उम्र वयस्क
4. बद्रीलाल पुत्र कालूराम, उम्र वयस्क
5. रमेश पुत्र कालूराम, उम्र वयस्क
6. सुगनचंद पुत्र कालूराम, उम्र वयस्क
7. चंपालाल पुत्र गणेश, उम्र वयस्क
8. ढगलाराम पुत्र गणेश, उम्र वयस्क
9. तीजाई पत्नि गणेश, उम्र वयस्क
10. धर्मीचंद पुत्र गणेश, उम्र वयस्क
11. नेनाराम पुत्र मूलाराम, उम्र वयस्क
12. बाबूलाल पुत्र गणेश, उम्र वयस्क, जातिगण माली, निवासीगण रायपुर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
13. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रायपुर, जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2025 बअनवान मीठुडीदेवी वगैरह बनाम चंपालाल वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.04.2025

पैरोकार–

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र दवे, श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा, श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांकः 25.09.2025

अपीलान्ट्स की ओर से जरिये अधिवक्ता ये दोनों अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2025 बअनवान मीठुडीदेवी वगैरह बनाम चंपालाल वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.04.2025 के विरूद्ध पेश की गई। दोनों अपील एक ही निर्णय व डिक्री से संबंधित होने से दोनों में निर्णय में समरूपता हों, अतः दोनों अपील एक साथ संयोजित की जाकर एक साथ निर्णित की जा रही हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 7 से 13 के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम रायपुर द्वितीय पटवार हल्का रायपुर द्वितीय भू.अ.नि. क्षेत्र रायपुर तहसील रायपुर की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 152 खसरा संख्या 1699 रकबा 1.5378 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 1700 रकबा 0.2833 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 1702 रकबा 0.6151 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 1705 रकबा 0.6475 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1706 रकबा 4.4192 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 1717 रकबा 4.8319 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 1718/1 रकबा 0.5666 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम कुल खसरान 7 कुल रकबा 12.9014 हैक्टेयर कृषि भूमि के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाड़ा व खातेदारी हक घोषणा का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई हैं। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड डाक से जो सम्मन अपीलार्थीया को भेजा गया हैं वह सम्मन कभी भी अपीलार्थीया को प्राप्त नहीं हुआ है, न ही अपीलार्थीया ने किसी प्रकार की प्राप्ति स्वीकृति या अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर किये हैं, न ही कोई प्राप्ति स्वीकृति या अभिस्वीकृति अधीनस्थ न्यायालय को बाद तामील प्राप्त हुयी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्ति का कोई अभिस्वीकृति पत्र या नोटिस पत्रावली में उपलब्ध नहीं था। अपीलार्थीया अपने ससूराल में अपने पति के साथ में निवास करती हैं। अपीलार्थीया का ससुराल व पीहर दोनों रायपुर में ही हैं। अपीलार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया वह पीहर के पते पर जारी किया, जबकि अपीलार्थीया अपने पति के साथ ससुराल में बेरा थड़ावाला कपूड़ी रोड रायपुर तहसील रायपुर जिला ब्यावर के पत्ते पर निवास करती हैं। उक्त पते पर अपीलार्थीया को नोटिस जारी नहीं किया गया। इससे प्रकट है की अपीलार्थीया को जो नोटिस जारी किया वह गलत पते का जारी किया। इसके अतिरिक्त रेस्पोंडेंट्स संख्या 7 से 11 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र के कथनों का खण्डन किया था। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट्स संख्या 7 से 11 का जवाबदावा था तथा वादपत्र का खण्डन था तो विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर निर्णय व डिक्री पारित करने थें। इसके अतिरिक्त वादी/रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 से 6 ने अपने वादपत्र में वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी होना एवं पूर्वजों के समय से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक बंटवाड़ा हो रखा हैं एवं मौखिक बंटवाड़े अनुसार मौके पर काबिज है। उस अनुसार बंटवाड़ा करने के अभिवचन अपने वादपत्र में दर्ज किये, इसके खण्डन में रेस्पोंडेंट्स संख्या 7 से 11/प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बाबत् अनुतोष चाहा एवं अपने जवाबदावे में मौखिक बंटवाड़ा के अभिवचनों का खण्डन किया। पत्रावली पर वादपत्र के अभिवचनों का जवाबदावे के अभिवचनों से खण्डन किया हुआ था। उक्त खण्डन के आधार पर विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर निर्णय किया जाना था। क्योंकि तनकीयात व साक्ष्य से ही स्थिति स्पष्ट हो सकती थीं कि मौखिक बंटवाड़ा हो रखा है या नहीं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम किए बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की हैं। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

में जो बंटवाडा प्रस्ताव पेश हुआ, उक्त बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलार्थिया को नोटिस नहीं दिया गया, न ही तहसीलदार ने मौके पर जाकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया। नियम 18 से 21 की पालना किए बिना विधिविरूद्ध तरीके से बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर पेश कर दिया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थिया ने आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का आवेदन पेश कर यह निवेदन किया था कि प्राथमिक डिक्री अपीलार्थिया को सुने बिना एकपक्षीय पारित की गई हैं एवं रेस्पोंडेंट्स संख्या 7 से 11 ने आवेदन पेश कर निवेदन किया था कि प्राथमिक डिक्री मौके की स्थिति व विधिविरूद्ध होने से चलने योग्य नहीं हैं एवं प्राथमिक डिक्री की अपील श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष विचाराधीन है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2025 को ही अपीलार्थिया के आवेदन व रेस्पोंडेंट संख्या 7 से 11 के आवेदन को खारिज कर उसी दिन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित कर दी। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध एवं निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांट्स के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2025 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर दिनांक 16.04.2025 को अंतिम डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत दोनों अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वादपत्र में किसी भी पक्ष की साक्ष्य लिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जो आज्ञापक विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से विधिविरूद्ध है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.03.2025 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 43/2025 व अपील संख्या 64/2025 के प्रकरण में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 25.09.2025 द्वारा दोनों अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। अतः ऐसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

स्थिति में प्राथमिक डिक्री की पालना में की गई समस्त पश्चातवर्ती कार्यवाही उक्त डिक्री एवं इसके संबंध में की गई अपील में पारित निर्णय से आच्छादित व बाधित होने से स्वतः शून्य हो जाती हैं। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री काबिल अपास्त है।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार रायपुर द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय सभी सहखातेदारान को मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचित व तलब नहीं किया गया व न ही तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। बल्कि हल्का पटवारी व भू.अ.नि. द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। जिसे तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। जबकि विभाजन के प्रकरणों में यह आज्ञापक प्रावधान है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर पक्षकारान की उपस्थिति में प्राथमिक डिक्री की पालना में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 की अनुपालना करते हुए मौके पर ही सहखातेदारान के मध्य जोत का विभाजन करें। तत्पश्चात मौके पर ही विभाजन के लिए प्रस्तावित भूखंडों का सीमांकन करते हुए प्रस्तावित नक्शा तैयार कर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा न्यायालय को प्रेषित करें। लेकिन हस्तगत प्रकरण में इसका सर्वथा अभाव पाया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण एवं रेस्पोंडेंट संख्या 4 दुर्गादेवी वादग्रस्त आराजीयात के पूर्व खातेदार कालूराम के वारिसान है। लेकिन अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादीगण व दुर्गादेवी को एक ही स्थान पर भूमि नहीं देकर वादीगण को अलग व दुर्गादेवी को अलग जगह भूमि दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव में सारवान रूप से अनेक व गंभीर त्रुटियां होने के बावजूद इस पर संज्ञान लिए बिना तथा पक्षकारान को इस पर आपत्ति आदि प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जो हमारे विनम्र मत में विधिविरूद्ध व दूषित होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से तथा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के संबंध में प्रस्तुत अपील में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.09.2025 द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ पुनः निर्णयन हेतु प्रतिप्रेषित कर दिए जाने के कारण हस्तगत प्रकरण में प्रतिप्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाना, पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील संख्या 43/2025 बअनवान चंपालाल वगैरह बनाम मितुडीदेवी वगैरह एवं अपील संख्या 64/2025 बअनवान दुर्गादेवी बनाम मितुडीदेवी वगैरह अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2025 बअनवान मितुडीदेवी वगैरह बनाम चंपालाल वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.04.2025 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से दो कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **25.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली

Scanned with OKEN Scanner